न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय/
(विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. ऐक्ट), चन्दौली।

फौजदारी मुकदमा संख्या–44/2021

सरकार प्रति अंगद राजभर वगैरह

मु.अ.सं. : 142 सन् 2020
धारा : 8/20 एन.डी.पी.एस.ऐक्ट,
थाना : बलुआ,
जिला : चन्दौली ।

आरोप

मैं, बृजेश कुमार यादव, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय (विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. ऐक्ट), चन्दौली आप अभियुक्तगणः–

अंगद राजभर एवं शरद शुक्ला उर्फ बन्टी को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूं :–

यह कि आप अभियुक्तगण को दिनांक–26.10.2020 को समय 22:45 बजे गंगा की रेती घाट ग्राम टाण्डाकला के पास बहद् थाना–बलुआ में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया और आप अभियुक्तगण की नियमानुसार जामातलाशी ली गयी तो आप अभियुक्तगण के सयुक्त कब्जे से कुल 54 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसको रखने का आपलोगो के पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्‌द्वारा आपलोगो को निर्देशित किया जाता है कि आप अभियुक्तगण का विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–08.02.2021 ई.

(बृजेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय/
(विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. ऐक्ट),
चन्दौली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक–08.02.2021 ई.

(बृजेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय/
(विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. ऐक्ट),
चन्दौली।